


18.12.2025:-पत्रावली आज वादी जरिय अधिवक्ता श्री देवीलाल भाभू के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादगण के मध्य आपस में मूल वादपत्र में राजीनामा हो चुका है जो तस्दीक भी हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र में जारी स्थगन आदेश दिनांक 27.08.2024 को निरस्त करवाना चाहते हैं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र व फर्द अहकाम पर no objection किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर no objection किया जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। मूल वाद के साथ सलग्न किया जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़